न्यायालय:–अपर जिला जज, न्याय कक्ष संख्या– 05, बुलन्दशहर।

उपस्थितः– मौ० नसीम –(उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code – UP 6389

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–252 सन् 2026

CNR. No. UPBU01-007347-2026

लक्ष्मी नारायण शर्मा .....बनाम .....प्रेमशंकर शर्मा आदि।

दिनांक–08.07.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र के हाशिये पर "श्रीमान बल नहीं देना चाहता" का पृष्ठांकन किया गया तथा न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से कथन किया गया है कि अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है एवं समाप्त करना चाहता है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद पर कोई बल नहीं देना चाहते है तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र के हाशिये पर "श्रीमान जी, बल नहीं देना चाहता" का पृष्ठांकन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रकीर्ण सिविल वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त प्रकीर्ण सिविल वाद बलहीन होने के कारण निरस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या 252 सन् 2026, लक्ष्मी नारायण शर्मा बनाम प्रेमशंकर शर्मा आदि आवेदक द्वारा कोई बल न देने के कारण निस्तारित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक:–08.07.2026

बृजेश कुमार/ आशुलिपिक

(मो० नसीम)
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या–05, बुलन्दशहर।
जे०ओ०कोड–यू०पी० 6389

Addl. Distt. & Sessions Judge/
Court No.-05, Bulandshahar.

Digitally signed by MOHD NASIM
Date: 2026.08.07 15:34:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court